



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2846 वर्ष 2026

कप्तान सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सुकेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुकेश कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याची का मामला यह है कि वह 31.12.2013 को निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था, तथापि, रिट याची के अनुसार, सेवानिवृत्ति के पश्चात रिट याची से 1,94,250/- रुपये की धनराशि की वसूली की गई।
3. निवेदन यह है कि संपूर्ण प्रक्रिया एकतरफा है और रिट याची की पीठ पीछे की गई है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह निवेदन करते हैं कि जो भी हो, पुनर्निर्धारण का आदेश चुनौती के अधीन नहीं है और यदि, रिट याची को नोटिस नहीं दिया गया है, तो रिट याची प्रत्यर्थी संख्या 6, एस. पी., हाथरस के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याची को प्रत्यर्थी संख्या 6 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से रिट याची के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 6 यह पाता है कि रिट याची के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याची को सम्यक सूचना देने के पश्चात कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।